न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 33/2022 (2022/128)

1. पाठक शशिमोली रूद्र देव पुत्र श्री सर्वज्ञनारायण पाठक
2. शत्रुंजय पाठक पुत्र श्री सर्वज्ञनारायण पाठक
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. सर्वज्ञनारायण पाठक पुत्र श्री गजानन्द पाठक
2. सर्वदमन पाठक पुत्र श्री सर्वज्ञनारायण पाठक
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम बघेरा हाल पंचायत समिति के पास पारासर कम्यूनिकेशन केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. द्वारका प्रसाद पाठक पुत्र श्री गजानन्द पाठक जाति ब्राहम्ण निवासी बघेरा हाल निवासी ए–97 शिवनगर प्रथम मुरलीपुरा स्कीम जयपुर जिला अजमेर
4. रामगोपाल पुत्र श्री गजानन्द पाठक जाति ब्राहम्ण निवासी पाबूजी का चौक ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. कमला देवी पुत्री श्री गजानन्द पत्नि हरिशंकर पाराशर जाति ब्राहम्ण निवासी बघेरा हाल बाहरेट की हवेली के पास शाहपुरा जिला भीलवाडा।
6. शत्रुघ्न पुत्र श्री गजानन्द पाठक जाति ब्राहम्ण निवासी बघेरा हाल बी ब्लॉक फ्रेण्डस कॉलोनी पेट्रोल पम्प के पीछे ईदगाह रोड वैशाली नगर अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार महोदय केकड़ी जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

8. दिव्यदर्शी पाठक पुत्र श्री सर्वज्ञनारायण पाठक जाति ब्राहम्ण निवासी पंचायत समिति के पास पाराशर कम्यूनिकेशन केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. वेदऋचा पाठक पुत्री श्री सर्वज्ञनारायाराण पाठक पत्नि प्रहलाद कुमार पाराशर जाति ब्राहम्ण निवासी 57, कैलाशपुरी मधुबन चित्तोडगढ जिला चित्तोडगढ
10. शुक्लप्रज्ञा पाठक पुत्री श्री सर्वज्ञनारायण पाठक पत्नि विनोद कुमार पाराशर जाति ब्राहम्ण निवासी मुकाम पोस्ट कदवासा वाया सिंगोली तहसील सिंगोली जिला नीमच मध्यप्रदेश।

––प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री भंवरलाल शर्मा–प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री अनुराग पाण्डेय–अप्रार्थीगण अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

आदेश

दिनांक :– 16.01.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या नया	पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1797	204	13	2.02	बारानी–1
		14	0.12	गै.मु.पाल
		15	1.98	बारानी–1
		16	0.12	गै.मु.पाल
		17	0.48	बारानी
		1802	0.96	चाही–1
		20/5006	0.18	बारानी–1
		21	0.25	बारानी–1
		308	1.09	बारानी–1
		3791	0.37	चाही–1
		3811	0.41	चाही–1
		526	0.86	बारानी–1
		किता 12	रकबा 8.84 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 से 10 की पुश्तैनी आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी के खातेदार प्रार्थीगण के दादाजी श्री गजानन्द है। प्रार्थीगण का सजरा निम्नानुसार है–

गजानन्द पाठक पुत्र श्री मांगीलाल पाठक

सर्वज्ञनारायण	रामगोपाल	द्वारकाप्रसाद	शत्रुघ्न	शकुंतला	कमला
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री (फोत)	पुत्री

सर्वज्ञनारायण की संतान:

पाठ[illegible]शि मोलि	दिव्यदर्शी	सर्वदमन	शत्रुंजय	वेदऋचा	शुक्लप्रज्ञा
रूद्र देव (पुत्र)	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री

प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्से में से 1/7 हिस्सा है और प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/6 हिस्से में से 1/7 हिस्सा है और अप्रार्थी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा है और प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 8 से 10 का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है और इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 से 10 का हक व कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में 1/6 हिस्सा सहवन से गलत दर्ज हो गया है और अप्रार्थी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजी संयुक्त हक व संयुक्त कब्जे की आराजी है। प्रार्थीगण की बुआ शकुन्तला ने उनके जीवन काल में उनके हिस्से की आराजी सभी सहखातेदारों को बराबर बराबर दे थी और कमला ने भी उसके हिस्से की आराजी दे दी, इस कारण उनके नाम से किये गये विक्रय पत्र व रिलीजडीड अवैध व प्रारम्भ से ही शून्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियतबद्ध है और वे जबरन व नाजायज रूप से प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 से 10 के हिस्से की आराजी हड़प करना चाहते है। प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण 8 से 10 प्रार्थनापत्र की आराजी में 1/6 हिस्से में से 1/7 हिस्से के खातेदार व काबिज है एवं इसी इनका नाम खातेदार की हैसियत से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 11.03.2022 को

उपखण्ड अधिकारी
([illegible])

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके प्रतिनिधि को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने, प्रार्थीगण की फसल काश्त करने नही रोकने, आराजी को अन्तरण, बय नही करने एवं प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जवाब सरकार के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में होने एवं राजहित प्रभावित नही होने की टिप्पणी अंकित की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार –

वादवर्णित आराजीयात में प्रार्थगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा था जो विधिनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने 1/6 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अंतरित किया जिसकी प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में की जा चुकी है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। अप्रार्थीगण 3, 4, व 6 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 5 ने विधि की सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार अपने हिस्से की जमीन अन्तरित की है। प्रार्थीगण ने हैरान परेशान करने की नियत से झूठा वाद प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादवर्णित आराजीयात ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 1797–204 कें खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 1802, 20/5006, 21, 308, 3791, 3811, 526 कुल किता 12 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, वाद वर्णित आराजी को बेचान, हस्तान्तरित नही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner